

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक 17.01.2017

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

आज्ञा


राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला बारां हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1- | श्री हरगोविन्द जैन,
निवासी बारां। | अध्यक्ष |
| 2- | श्री नाथूलाल नागर,
निवासी किशनगंज, जिला बारां। | सदस्य |
| 3- | श्री प्रहलाद मीना पुत्र श्री रामनारायण मीणा,
निवासी बारां। | सदस्य |
| 4- | श्रीमती उषा शर्मा पत्नि श्री मदनगोपाल शर्मा,
निवासी बारां। | सदस्य |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय),
बारां। | सदस्य-सचिव |

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।


समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से,


(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां।
- 7- पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- सम्बन्धित।
- 10- रक्षित पत्रावली।


17/1/2017
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस